



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 2303/2026

ए.एफ.आर.

कमिटी ऑफ मैनेजमेंट श्री बाल्मीकि आश्रम धरम संघ संस्कृत विद्यालय एवं 2 अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता

:हिमांशु दुबे, सूर्य शंकर पांडेय

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

:

सी.एस.सी., सतेंद्र कुमार सिंह, सुरेश चंद्र वर्मा

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति

1. न्यायालय में आज दाखिल पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. याची के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.के. सिंह, जिन्हें सहायता श्री हिमांशु दुबे, याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई, प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.सी. वर्मा को सुना।
3. वर्तमान याचिका याचीगण द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:-

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



क. सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, झांसी मंडल, झांसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2025 (अनुलग्नक संख्या 1) तथा 14.01.2026 (अनुलग्नक संख्या 2) को मंगाकर आक्षेपित करने एवं निरस्त करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

ख. प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को आदेश दिनांक 06.06.2025 पर कार्रवाई करने तथा इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करने का आदेश देने हेतु एक परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

ग. ऐसा अन्य और आगे का आदेश पारित करें, जो यह माननीय न्यायालय वर्तमान वाद की परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे।

4. यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स झांसी मंडल झांसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2025 द्वारा याची संख्या 2 व 3 को प्रबंध समिति के उन जीवित सदस्यों की सूची 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था जिन्होंने दिनांक 05.10.2010 को आयोजित चुनाव में भाग लिया था। यह तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त आदेश याचीगण को पहली बार 14.01.2026 को प्राप्त हुआ, डाकघर की कंसाइनमेंट रिपोर्ट पूरक शपथपत्र के अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न है। यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि आदेश दिनांक 30.12.2025 के द्वारा याचीगण को जीवित सदस्यों की सूची प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय प्रदान किया गया था और उपर्युक्त आदेश याचीगण को 14.01.2026 को प्राप्त हुआ था, परंतु 15 दिनों की अवधि की प्रतीक्षा किए बिना, 14.01.2026 को ही निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित कर दिया गया, जिसके अनुसार प्रबंध समिति के निर्वाचन के संबंध में संपूर्ण कार्यवाही 28.01.2026 को आयोजित की जाएगी। यह तर्क दिया गया है कि निर्वाचन कार्यक्रम घोषित करने से पूर्व याचीगण को वास्तविक 15 दिनों का समय प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए यह कानून की नजर में दोषपूर्ण है और इसे निरस्त किए जाने योग्य है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. वर्मा द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एक बार निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित हो जाने के बाद, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

7. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 14.01.2026 को निर्वाचन कार्यक्रम पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। उसी के अनुसार, संपूर्ण निर्वाचन कार्यवाही को दिनांक 28.01.2026 को ही पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था। इस न्यायालय ने एक से अधिक अवसरों पर यह अभिनिर्धारित किया है कि एक निर्वाचक मंडल को अंतिम रूप देने और उसे दी गई चुनौती पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे निर्वाचन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से पटरी से उतर जाएगी और मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रक्रिया पूरी होने के बाद संपूर्ण रूप से निर्वाचन को चुनौती देने का मार्ग हमेशा खुला रहता है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए, न्यायालय का यह मत है कि इस स्तर पर मामले में कोई भी हस्तक्षेप निर्वाचन की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से रोक देगा और प्रभावित करेगा जो कि पहले ही गतिमान हो चुकी है। इस न्यायालय को अनिवार्य रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के प्रावधानों के तहत शक्तियों के प्रयोग के आधार पर सहायक रजिस्ट्रार द्वारा सूची को अंतिम रूप दिया जाना उसके द्वारा लिए गए एक प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण पर आधारित है। भले ही इस स्तर पर प्रतिस्पर्धी दावे हों, सहायक रजिस्ट्रार निर्वाचक मंडल को अंतिम रूप देने के लिए आगे बढ़ता है, प्राधिकारी वास्तव में किसी विवाद का निर्णायक रूप से न्यायनिर्णयन नहीं कर रहा है। वह इस स्तर पर केवल सदस्यों की एक सूची स्वीकार कर रहा है जिसे वह प्रथम दृष्टया वैध सामान्य निकाय का गठन करने वाला पाता है। वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय ने ए.पी. अबूबाकर बनाम जिला रजिस्ट्रार, 2004 (11) एससीसी 247 के पैराग्राफ संख्या 3 में जो अभिनिर्धारित किया है, उसे देखना उपयुक्त होगा जो इस प्रकार है:-

"उच्च न्यायालय की खंडपीठ का यह दृष्टिकोण अपनाना सही था कि जिला रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकार की गई सूची अंतिम नहीं हो गई थी; यदि अपीलकर्ता पीड़ित था, तो उसके लिए एक सक्षम न्यायालय/मंच में अपने दावे को स्थापित करने का मार्ग खुला था। हमारे लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि जिला रजिस्ट्रार ने भी इस तरह के किसी विवाद का न्यायनिर्णयन नहीं किया। यह केवल प्रबंधकीय निकाय के सदस्यों की सूची को प्रथम दृष्टया स्वीकार करने का प्रश्न था। यदि अपीलकर्ता का दावा सही और न्यायसंगत था, तो केवल इसलिए कि जिला रजिस्ट्रार ने ई.आर. अबूबाकर द्वारा प्रस्तुत प्रबंधकीय निकाय के सदस्यों की सूची को स्वीकार कर लिया था, यह उसे एक सक्षम न्यायालय में अपना दावा स्थापित करने से नहीं रोकता था।"

9. उपरोक्त का अनुसरण करते हुए हमारे न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने ज्ञान भारती शिक्षा सदन व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 (5) एडीजे 263 के पैराग्राफ 34 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"इस प्रकार पदाधिकारियों के विवाद का निर्णय सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 4 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा प्रथम दृष्टया संतुष्टि के आधार पर किया जाता है, क्योंकि उसे अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपने प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए उनसे निपटना पड़ता है जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है। पीड़ित पक्षों के लिए उपलब्ध उपचारों को अपनाने का मार्ग खुला छोड़ दिया गया है जैसे कि दीवानी वाद।"

10. संभवतः इसी पृष्ठभूमि में इस न्यायालय ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, महाराणा प्रताप विद्यालय, 2013 (101) एएलआर 880 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया था:

"9. निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करने और उन्हें निर्देश देने की मांग करने के लिए दायर की जाने वाली रिट याचिकाओं की एक बड़ी संख्या से बचने के लिए, हम इसके द्वारा यह घोषित करते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा एन.पी. पन्नूस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, एआईआर 1952 एससी 64; हरचरण सिंह बनाम मोहिंदर सिंह व अन्य, एआईआर 1968 एससी 1500; मोहिंदर सिंह गिल व अन्य बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एआईआर 1978 एससी 851; ज्योति बसु व अन्य बनाम देवी घोषाल व अन्य, एआईआर 1982 एससी 983; हरिकृष्ण लाल बनाम बाबू लाल मरांडी, (2003) 8 एससीसी 613 और श्यामदेव प्र. सिंह बनाम नवल किशोर यादव, (2000) 8 एससीसी 46 में प्रतिपादित कानून के सिद्धांत, जो निर्वाचन अधिसूचित होने के बाद न्यायालयों को निर्वाचन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से रोकते

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हैं, समान रूप से सोसाइटियों के प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों की प्रशासन योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनी जाने वाली प्रबंध समिति के निर्वाचनों पर भी लागू होते हैं। कानून का यह सिद्धांत कि न्यायालयों को निर्वाचन संबंधी मामलों से दूर रहना चाहिए और सभी निर्वाचन विवादों की सुनवाई निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा की जानी चाहिए, भारत के संविधान में संसद या विधायिका के सदन या किसी भी सदन के निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 329 (ख) के तहत, पंचायतों के निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 243 ओ के तहत और नगर पालिकाओं के निर्वाचन के मामले में अनुच्छेद 243 जेडजी के तहत भी शामिल किया गया है।

10. ऐसा कोई कारण नहीं है कि इन समय-सिद्ध और स्थापित सिद्धांतों को सोसाइटियों के पदाधिकारियों और शैक्षिक संस्थानों की प्रशासन योजना के तहत प्रबंध समिति के निर्वाचनों पर लागू क्यों न किया जाए।

11. हमारे पास यह विश्वास करने का पूरा कारण है कि भविष्य में न्यायालय निर्वाचन की प्रक्रिया में तब तक हस्तक्षेप करने से इनकार करेगा जब तक कि निर्वाचन संपन्न न हो जाएं और निर्वाचन विवादों पर विचार करने से इनकार करेगा तथा पक्षों को निर्वाचन न्यायाधिकरणों के पास जाने या निर्वाचन के परिणामों को चुनौती देने के लिए दीवानी वाद दायर करने के लिए निर्देशित करेगा।"

12. उपर्युक्त दृष्टिकोण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोवा राज्य बनाम फौजिया इम्तियाज शेख व अन्य, (2021) 8 एससीसी 401 के मामले में पुनः अपनाया गया था।

13. तदनुसार और उपरोक्त के आलोक में, यह न्यायालय इस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करता है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

14. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

28 जनवरी, 2026

सकलन

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"